बिहार विधान-सभा।

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

मंगलवार, तिथि 21 जून, 1983।

विषय-सूची।

	पृष्ठ।
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद :	1—15
कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन : (स्वीकृत)	16
शून्य-काल की चर्चाएं :	
(क) राजकीय औषधालय में चिकित्सा पदाधिकारी का अभाव ..	17
(ख) कलुआही चौक पर प्रखंड कार्यालय की स्थापना ..	17
(ग) क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण	17—18
(घ) मुखिया और पी०ई०ओ० द्वारा गोलमाल	18
(ङ) गंडक योजनान्तर्गत परसा तथा चैता माइनर का निर्माण ..	18
(च) दरभंगा मेडिकल अस्पताल में खराब पानी का वितरण ..	19
(छ) श्री बी० टी० राव की हत्या	19
अत्यावश्यक लोक-महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :	
(अ) रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर के प्रबंधन द्वारा तालाबन्दी। ..	19—20
(ब) पलामू जिला में पेयजल की समस्या	20—21
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन : ..	21
मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद :	21—41
प्रेमलता काण्ड के सम्बन्ध में नेता, विरोधी दल का स्पष्टीकरण ..	41
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद : (अस्वीकृत) ..	42—58
निवेदनों के सम्बन्ध में सूचना :	58
दैनिक निबंध :	59—60

टिप्पणी—किन्हीं भी मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिये गये हैं।

परिवारों के लाखों सदस्य दाने-दाने के मुहताज बन गये। एक ओर बिहार जैसे पिछड़े राज्य में करोड़ों रुपये की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन का ह्रास हुआ वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपये के कर की क्षति हुई। विद्युत् पर्षद् के बकाये को बहाना बनाकर ले ऑफ किया गया था, पर अब जबकि दिनांक 4 अप्रील 1983 से विद्युत् आपूर्ति जारी है, सभी कर्मचारियों को ले ऑफ में रखा गया है। मात्र ढाई हजार मजदूरों को रोटेशन क्रम में काम पर लिया गया है। वर्ष 1981-82 का बोनस भुगतान नहीं किया गया है। कारखाने के नवीनीकरण के नाम पर करोड़ों रुपये सरकार से लिये गये तथा करोड़ों रुपये कर का बकाया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी अभीतक न तो मजदूरों को काम पर लिया गया है और न उनका देय भुगतान ही हो पाया। आज स्थिति भयानक हो चुकी है। किसी भी समय भूख से पीड़ित मजदूर अशांत हो सकते हैं जो सरकार और प्रबंधन के लिए खतरनाक साबित होगा। अतः हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि वह प्रबंधन को श्रमिकों को काम पर लेने, बकाये भुगतान कराने और बोनस भुगतान कराने को बाध्य करे।

श्री नसीरुद्दीन हैदर खां—28 तारीख को इसका जवाब दिया जायगा।

अध्यक्ष—28 तारीख को जवाब होगा।

श्री इन्दर सिंह नामधारी—अध्यक्ष महोदय, इसकी गम्भीरता को देखिये। हजारों लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष—28 तारीख को इसका जवाब होगा।

(ब) पलामू जिला में पेयजल की समस्या।

श्री राधा कृष्ण किशोर—पिछले कई वर्षों से पलामू में सुखे की स्थिति के कारण संपूर्ण जिले में पेयजल को भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। फलस्वरूप, पलामू वासियों के बीच हाहाकार मच गया है। नदी नाले सूख गये हैं। पानी नहीं रहने के कारण कितने मवेशियों की जानें चली गयीं। कई बार पेयजल की समस्याओं के प्रति जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद भी जिला प्रशासन की उदासीनता से जन-आक्रोश पैदा हो गया है। पलामू के प्रत्येक प्रखंड में जो कुछ भी चापाकल पिछले वर्ष लगाये गये थे उनमें से 90 प्रतिशत चापाकल खराब हो गये हैं जिनकी मरम्मती का भी काम लोक-स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से नहीं किया जा रहा है। पलामू के छतरपुर एवं पारत प्रखंड, जो कि मूल रूप से पहाड़ी क्षेत्र है, के प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा अप्रील, 1983 में ही लिखित रूप से उपायुक्त, पलामू से एक-एक सौ चापाकल की मांग की गयी थी और यह भी सूचित किया गया

था कि उक्त दोनों प्रखंडों में यदि चापाकल की व्यवस्था नहीं की गयी तो स्थिति भयावह हो जायगी, किन्तु अभीतक चापाकल की व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण, स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़तो जा रही है। अतः मैं इस लोक-महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्रीमती उमा पांडेय---29 तारीख को जवाब दिया जायेगा।

श्री राधाकृष्ण किशोर---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया 29 तारीख को जवाब देंगी और कहेंगी कि इतने चापाकल की व्यवस्था कर दी गयी है। तबतक मौनसून ब्रेक कर जायगा और एक भी चापाकल नहीं लगेगा।

अध्यक्ष---29 तारीख को इसका जवाब होगा।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन :

श्री मुंशीलाल राय---महोदय, मैं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 211 के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 80वां प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित करता हूं।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद :

अध्यक्ष---आपलोगों की राय हो तो दो बजे से वाद-विवाद इसपर किया जाय।

श्री रघुनाथ झा---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप समय का निर्धारण करते हैं हैं पूरे हाउस के स्ट्रेंथ पर। आपने इसके लिये पांच घंटे का समय निर्धारित किया था। सदन के प्रायः सभी मुख्य विरोधी दल एक विरोधी दल को छोड़कर वाद-विवाद में भाग लेने से इन्कार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इतना समय एक या दो दल को एलोट करना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष---मेरा भी अनुमान यही था, इसलिए मैंने सदन की भावना को जानना चाहा लेकिन कोई एक आदमी एतराज कर दे तो यह सदन की भावना नहीं हुई।

श्री रामाश्रय राय---अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब एक दल में कम बोलने वाले सदस्य हैं तो उनको ज्यादा समय देना क्या उचित है?